कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:सी0 266/स0क0/दशमो0छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 7/10/2020

समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/टेक्निकल/
मेडिकल/पैरा मेडिकल/इंजीनियरिंग/
पॉलीटेक्निक/आई0टी0आई संस्थान

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों के आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित तीन बार से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0 2469/26–3–2020 दिनांक 01.10.2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्रों के आधार प्रमाणीकरण हेतु पूर्व से निर्धारित तीन अवसरों के अतिरिक्त तीन अन्य अवसरों की सुविधा छात्रों को प्रदान की गयी है। यदि इसके उपरान्त भी किसी छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र आधार प्रमाणीकरण ओ0टी0पी0 गलत अंकित करने के कारण ब्लॉक हो जाता है तो आवेदन पत्र पुनः खुलना सम्भव नही हो सकेगा।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त छात्र/छात्राओं को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।

07/10/2020

(शैलेन्द बहादुर सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि पूर्वदशम (कक्षा 9–10) एवं दशमोत्तर (11–12) संस्थानों को भी अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।